बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि०

पेंशन फार्म–4

पेंशन या उपादान और मृत्यु–सह–सेवा निवृति उपादान के लिए आवेदन

(बिहार पेंशन नियमावली के नियम 193,194 और 199 द्रष्टव्य)

(चार पृष्ठों में) प्रथम पृष्ठ

1. कम्पनी सेवक का नाम ____________________
2. पिता का नाम और कम्पनी की महिला सेवक के मामले में पति का नाम ____________________
3. धर्म और राष्ट्रीयता ____________________
4. (क) निवास–स्थान (ग्राम / शहर, डाकघर, थाना और जिला) ____________________

   (ख) वर्त्तमान निवास–स्थान (ग्राम / शहर, डाकघर, थाना और जिला) ____________________

   (ग) सम्पर्क नम्बर / मोबाईल नं0 / ई–मेल का पता ____________________
5. वर्त्तमान या अंतिम नियोजन, स्थापना के नाम सहित ____________________
6. सेवा–आरम्भ की तिथि ____________________
7. सेवा–समाप्ति की तिथि ____________________
8. (क) सैनिक सेवा की कुल अवधि ____________________

   सैनिक सेवा की प्रत्येक अवधि के

   आरम्भ और समाप्ति की तिथि।

   सैनिक सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन / उपादना की राशि और प्रकार

   (ख) किस सरकार के अधिन सेवा की गई, नियोजन

   का क्रम और ऐसे प्रत्येक नियोजन की अवधि ____________________
9. कुल सेवा–काल, जिसमें सेवा में व्यवधान की अवधि भी शामिल है, वर्ष ______ मास ______ दिन ______

   उच्चतर सेवा की अवधि

   निम्नतर सेवा की अवधि

   गैर–पेंशन प्रादायी सेवा / व्यवधान की अवधि ____________________
10. आवेदित पेंशन या उपादान की श्रेणी ____________________

    "और आवेदक का कारण"
11. (औसत) उपलब्धियाँ या वेतन ____________________
12. प्रस्तावित पेंशन / सेवा–उपादान ____________________
13. प्रस्तावित मृत्यु–सह–सेवा निवृत्ति उपादान ____________________
14. पेंशन आरम्भ होने की तिथि ____________________
15. (क) प्रस्तावित पारिवारिक पेंशन ____________________

    (ख) सेवा–निवृति के बाद कम्पनी सेवक की मृत्यु की स्थिति में प्रस्तावित मृत्यु–सह–निवृत्त उपादान ____________________

    (ग) पारिवारिक पेंशन आरम्भ होने की तिथि ____________________

    (घ) पारिवारिक पेंशन समाप्त होने की तिथि ____________________

16. भुगतान का स्थान ___

17. आवेदक का नाम ___

18. मृत कम्पनी–सेवक के साथ रिश्ता ___

19. (क) दावे का प्राधिकार ___

नामनिर्देशन रहने की स्थिति में, क्या आवेदक मृत्यु–सह–निवृति–उपादान नामनिर्दिष्ट है/हैं ?

(ख) नामनिर्देशन के अभाव में, वित्त विभाग के संकल्प सं० एफ.बी.पी.ए. आर 12/50–1254 एफ, दिनांक 23–8–1950 की कंडिका–5 के अनुसार पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किस कोटि में आता है ?

20. ईसवी सन् के अनुसार आवेदक की जन्म तिथि ___

21. ऊँचाई ___

22. चिन्ह ___

अंगूठे और ऊँगलियों की छापें (बायाँ हाथ)

अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका

23. पेंशन या उपादान और मृत्यु–सह–सेवा–निवृत्ति–उपादान/पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदक के किस तिथि को आवेदन किया।

24. आवेदक का हस्ताक्षर

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष

यदि आवेदन आपूर्ति पेंशन या उपादान के लिए हो तो स्थापना के सम्बन्ध में हुए परिवर्त्तन के प्रकार के बारे में भली भाँति बताएँ जिसकी वजह से दावा किया गया।

अगर सही नहीं मालूम हो तो, आनुमानिक पूरी जानकारी के आधार पर बताएँ।

टिप्पणी : राजपत्रित कम्पनी–सेवकों और कम्पनी द्वारा विशेष रूप से विमुक्त पेंशन भोगियों के लिए अंगूठे या उँगलियों की छाप तथा उँचाई और वैयक्तिक चिन्ह का विवरण अपेक्षित नहीं है। यदि कम्पनी का सेवक स्वयं आवेदक है तो 8 से 20 की मदों को काट दें और अन्य मामलों में मद 21 और 23 को भी काट दें।

दूसरा पृष्ठ

______________________________ की सेवा का इतिहास (सेवा में व्यवधान सहित)

जन्म की तिथि ______________

स्थापना	नियुक्ति	वेतन	अधिष्ठायी वेतन और स्थानापन्न वेतन में अंतर	सेवा आरम्भ की तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि	सेवा के रूप में गिनी गई अवधि	सेवा के रूप में नहीं गिनी गई अवधि	अभ्युक्ति	कैसे सत्यापित किया गया	लेखा परीक्षा पदाधिकारी की अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						दो महीना दिन	वर्श महीना दिन			सं० वी० आर० (राज्य) तिथि .... से .... तक की सेवाएँ सत्यापित कर ली गई है।
						सेवा की कुल अवधि				सहायक लेखा पदाधिकारी

कार्यालय प्रधान / विभागाध्यक्ष की अभ्युक्ति

1. कम्पनी सेवक के चरित्र और पूर्व आचरण के सम्बन्ध में ——————

2. निलम्बन या पदच्युति का स्पष्टीकरण ——————

3. आवेदन द्वारा प्राप्त किए जा चुके किसी प्रकार के उपादान या पेंशन के संबंध में ——————
(बिहार पेंशन नियमावली का अध्याय 8 द्रष्टव्य)

4. कोई अन्य अभ्युक्ति ——————

5. जितनी सेवा का दावा किया गया है वह स्थापित होता है या नहीं ——————
और उसे स्वीकृत किया जाए या नहीं, इसके संबंध में

कार्यालय प्रधान / विभागाध्यक्ष की निश्चित राय (बिहार पेंशन नियमावली के नियम 194 (ii) और 179 (क) द्रष्टव्य)

कार्यालय प्रधान / विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर

जिस पेंशन और मृत्यु–सह–सेवा निवृत्ति उपादान का दावा ——————
किया गया है उसे स्वीकृत किया जाय या नहीं, इसके
संबंध में मंजूरी प्राधिकारी की औपबंधिक सिफारिश,
(बिहार पेंशन नियमावली के नियम 195 (ग) और 199 द्रष्टव्य)

मंजूरी–प्रधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम

सं० पेंशन नियमावली (पी० आर०) (राज्य) —————— दिनांक —————— 20 ——————

लेखा निदेशक का प्रमाण पत्र और रिपोर्ट।

प्रमाणित किया कि (नीचे दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए) श्री —————— को पेंशन प्रदायी सेवा —————— वर्ष —————— महीना —————— दिन सम्यक रूप से प्रमाणित हो गई कोटि में है और यह भी प्रमाणित किया कि बिहार–पेंशन नियमावली के नियम —————— और बिहार सरकार के वित्त विभाग के ज्ञाप सं० 5285 वि, दिनांक 26.4.51. कंडिका 2 (ग) तथा बिहार सरकार के वित्त विभाग के संकल्प सं. एफ. बी. पी. आर. 12/50, 12548 वित्त दि० 23 अगस्त 1950 के अधीन अधिक–से–अधिक —————— रू० प्रतिमाह तथा —————— रू० मात्र (—————— एक मुश्त —————— पेंशन/सेवा उपादान/ परिवार–पेंशन और मृत्यु–सह–सेवा निवृत्त उपादान के रूप में अनुमान्य है। गणना का सत्यापान सम्यक रूप से किया जा चुका है। पेंशन या उपादान —————— मदे प्रभार्थ और यह पेंशन दिनांक —————— से शुरू होगी।

बिहार–पेंशन नियमावली के नियम 139 और 202 (i) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि चूकि आवेदन सेवा–निवृत्त की तिथि के बाद किया गया है, इसलिए पेंशन आवेदन तिथि ———————————— या सेवा निवृत्ति की तिथि ——————— से शुरू होगी, कि मुजूरी प्राधिकारी बिहार पेंशन नियमावली के नियम 209 के अधीन निर्देष दें।

(यदि आवश्यक न हो तो इस कंडिका को काट दें)

लेखा – निदेशक

जो पदाधिकारी बिहार पेंशन नियमावली के नियम 247 द्वारा प्राधिकृत, अतिरिक्त पेंशन के पात्र हैं उनके मामले में प्रमाण–पत्र के सामान्य फार्म में निम्न बातें जोड़ दें :–

उन्होंने तीन वर्षों / —————————— वर्षों तक ————— के रूप में सेवा की है और ये 1000 रू० / 1500 रू० ———————— की विशेष अतिरिक्त पेंशन के पात्र हैं। उसकी सेवा ऐसी रही कि उसके मामले में ऐसी रियासत की जा सकती।

टिप्पणी : यदि पेंशन प्रदायी सेवा अधिकतम पेंशन के पर्याप्त हो तो, प्रमाण–पत्र पर ——————— वर्षों से अधिक के लिए सम्यक रूप से प्रमाणित लिख दें। (उतना ही वर्ष अंकित करें जितना अधिकतम पेंशन पाने के लिए अपेक्षित है।)।

चौथा पृष्ठ
(सारांश)

पेंशन या उपादान गैर मृत्यु–सह–निवृत्ति उपादान के लिए आवेदन

आवेदन की तिथि ____________________

कम्पनी – सेवक का नाम ____________________

आवेदक का नाम ____________________

नियुक्ति ____________________

पेंशन या उपादान की श्रेणी ____________________

स्वीकृति प्राधिकारी ____________________

स्वीकृति पेंशन/परिवार पेंशन की राशि ____________________

स्वीकृति उपादान की राशि ____________________

मृत्यु–सह–सेवा–निवृत्त–उपादान की राशि ____________________

प्रारम्भ होने की तिथि ____________________

स्वीकृति की तिथि ____________________

सेवा–निवृत्त कम्पनी–सेवक और उसकी पत्नी का सम्मिलित फोटोग्राफ (तीन प्रति में)

सम्मिलित फोटोग्राफ को किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित कराया जाए

सेवा–निवृत्त कम्पनी–सेवक के हस्ताक्षर के तीन नमूने

1.

2.

3.

(हस्ताक्षर के नमूने को किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित कराया जाए)

(बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 193 के अधीन प्रमाण–पत्र)

मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि अपनी सेवा के किसी अंश के संबंध में, जो इस आवेदन–पत्र में उल्लिखित है तथा जिसके संबंध में पेंशन और उपादान का दावा इसमें किया गया है, मैंने किसी पेंशन या उपादान के लिए न तो आवेदन किया है और न पाया है और न इस आवेदन–पत्र तथा इस पर दिए गये आदेश का हवाला दिए बिना इसके बाद आवेदन ही करूगां।

अभिप्रमाणित

सेवा–निवृत्त कम्पनी–सेवक का हस्ताक्षर
पदनाम एवं विभाग–कार्यालय

(इस प्रमाण–पत्र को किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित कराया जाए)

(वित्त विभाग के पत्रांक पी. आई. 1013–6654 वि० दिनांक 30.5.1951 के अधीन प्रमाण पत्र)

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि यदि वेतन एवं भत्ते के अधिक भुगतान अथवा निकासी के कारण कोई बकाया हो अथवा वेतन, दौरा संबंधी यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण हेतु–यात्रा भत्ता से संबंधित अग्रिम का वापस नहीं किया गया शेष बकाया हो, अथवा मोटर –कार अग्रिम, साइकिल अग्रिम, गृह–निर्माण अग्रिम, आवास–किराया संबंधी या कोई अन्य बकाया हो, जिसकी वसूली मुझसे वसूली करनी हो, उसका भुगतान करने के लिए मैं बाध्य होऊँगा।

सेवा–निवृत्त कम्पनी–सेवक का हस्ताक्षर
पदनाम एवं विभाग
कार्यालय का नाम

(इसे किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित कराया जाय)

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

मोडेल फार्म

(पेंशन और उपादान की स्वीकृति)

(वित्त विभाग का ज्ञापांक 642, दिनांक 14 जनवरी, 1964 द्रष्टव्य)

अधोहस्ताक्षरी इस बात से स्वयं संतुष्ट होकर कि श्री / श्रीमती / कु० ———————————————— की सेवा पूर्ण रूप से संतोषप्रद रही है, इसके द्वारा पूर्ण पेंशन और / या मृत्यु–सह–सेवा–निवृत्ति उपादान की स्वीकृति का आदेश देते हैं जो लेखा–निदेशक द्वारा नियमों के अधीन स्वीकार किया जा सकता है। इस पेंशन और / या उपादान की मंजूरी दिनांक ——————— से आरम्भ होगी।

पेंशन और / या उपादान का भुगतान ———————————————— के यहाँ किया जाएगा और शीर्ष 44,120 पेंशन और अन्य सेवा–निवृत्ति लाभ मदे प्रभार्य होगा।

यह आदेश इस शर्त्त के साथ दिया जाता है कि यदि बाद में यह पाया गया कि लेखा–निदेशक द्वारा यथा–प्राधिकृत पेंशन और / या उपादान की राशि उतनी रकम से अधिक है जितनी का पेंशनभोगी नियमतः हकदार है तो, वह उस अधिक राशि को वापस करने के लिए बाध्य होगा / होगी।

व्यक्ति से इस शर्त्त को स्वीकार करने से संबंधित घोषणा–पत्र प्राप्त कर लिया गया है जो संलग्न है। इस शर्त्त को स्वीकार करने से संबंधित घोषणा–पत्र प्राप्त कर अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।

तिथि :

पेंशन स्वीकृति–प्राधिकारी
का हस्ताक्षर एवं पदनाम

सेवा निवृत्त–कम्पनी–सेवक के बाएँ हाथ के अंगूठे और उंगलियों की छापें।

1. अंगूठा
2. तर्जनी
3. मध्यमा
4. अनामिका
5. कनिष्ठिका

सेवा–निवृत्त कम्पनी–सेवक का हस्ताक्षर
पदनाम एवं विभाग
कार्यालय का नाम

टिप्पणी : बायें हाथ के अंगूठे और उंगलियों की छाप को किसी राजपत्रित सेवक से अभिप्रमाणित कराया जाए।

सेवा निवृत्त–कम्पनी–सेवक के बाएँ हाथ के अंगूठे और उंगलियों की छापें।

1. अंगूठा
2. तर्जनी
3. मध्यमा
4. अनामिका
5. कनिष्ठिका

सेवा–निवृत्त कम्पनी–सेवक का हस्ताक्षर
पदनाम एवं विभाग
कार्यालय का नाम

टिप्पणी : बायें हाथ के अंगूठे और उंगलियों की छाप को किसी राजपत्रित सेवक से अभिप्रमाणित कराया जाए।

सेवा निवृत्त – कम्पनी – सेवक के परिवार के सदस्यों का विवरण

क्रम संख्या	नाम	संबंध	जन्म–तिथि	विवाहित अथवा अविवाहित (अगर सिर्फ पुत्री हो)

अभिप्रमाणित
हस्ताक्षर
पदनाम की मुहर

सेवा–निवृत्त कम्पनी–सेवक का
हस्ताक्षर पदनाम एवं विभाग
कार्यालय

(इसे किसी राजपत्रित सेवक से अभिप्रमाणित कराया जाय)

एनेक्सर (अ)
(सेवा निवृत्त–कम्पनी सेवक द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा)

चुँकि ———————————— (यहाँ पेंशन / सेवा–उपादान / मृत्यु–सह–सेवा–निवृत्ति उपादान की स्वीकृति करने वाले पदाधिकारी के पदनाम का उल्लेख करें) ने दिनांक ———————————— के प्रभाव से प्रतिमाह ———————————— रूपया मेरी पेंशन की राशि तथा ———————————— रूपया मेरे उपादान / मृत्यु–सह–सेवा–निवृत्त उपादान की राशि स्वीकृत करने की सहमति दी है, मैं एतद् द्वारा अभिस्वीकृत देता हूँ कि उक्त राशि (राशियों) को स्वीकार करते हुए मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि पेंशन / उपादान / मृत्यु–सह–सेवा–निवृत्ति उपादान, नियमानुसार हक से अधिक पाए जाने पर पुनरीक्षित होने के अध्यधीन है, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस पुनरीक्षण पर हमें किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जिस राशि वस्तुतः पाने के हकदार ———————— हूँ उससे अधिक भुगतान की गयी राशि को वापस कर दूंगा।

सेवा–निवृत्त होने वाले
कम्पनी–सेवक का हस्ताक्षर
पदनाम तथा विभाग / कार्यालय

1. हस्ताक्षर
   साक्षी का पेशा एवं पता

2. हस्ताक्षर
   साक्षी का पेशा एवं पता

यह घोषणा–पत्र नगर / गांव अथवा परगंना के दो प्रतिश्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जहाँ आवेदक रहता है।

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

प्रपत्र ''जी''

यह घोषणा–पत्र उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाए जिसे अग्रिम मृत्यु–सह–सेवा निवृत्त उपादान मंजूर किया जाता है।

चूँकि ———————————————————————— (यहाँ अग्रिम की मंजूरी देने वाले कम्पनी–सेवक के पदनाम का उल्लेख करें) ने, मुझे देय मृत्यु–सह–निवृत्त उपादान की राशि कम्पनी द्वारा निर्धारित किए जा सकने के लिए आवश्यक जांच होने की प्रत्याशा में, मुझे औपबन्धिक रूप में ———————————————————————— रू० की रकम देने की सहमति दी हैं (श्री ———————————————————— के कानूनी वारिस / मनोनित के रूप में)।

एतद् द्वारा अभिस्वीकृति देता हूँ कि इस अग्रिम को स्वीकार करते हुए मैं यह पूरी तरह से समझता हूँ कि मुझे देय मृत्यु–सह–सेवा–निवृत्ति उपादान की राशि आवश्यक औपचारिक जांच पूरी होने पर पुनरीक्षण के अध्ययधीन है, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसे पुनरीक्षण पर हमें इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि औपबन्धिक मृत्यु–सह–सेवा–निवृत्ति उपादान स्वीकृत होगा उससे अधिक भुगतान की गई किसी भी रकम को अदा कर दूँगा।

साक्षी का हस्ताक्षर (पते के साथ)

1.

2.

हस्ताक्षर

पदनाम (कम्पनी–सेवक का)

स्थान :

दिनांक :

(यह घोषणा–पत्र किसी राजपत्रित सेवक द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए)

टिप्पणी – कोष्ठक में अंकित शब्द जहाँ लागू न हों, काट दिए जाँए।

(बिहार पेंशन नियमावली के नियम 204 (क) के अधीन घोषणा–पत्र)
(औपबंधिक पेंशन के लिए)

चूँकि ———————————————————— नें, मेरी पेंशन की राशि कम्पनी द्वारा निश्चित किए जा सकने के लिए आवश्यक जाँच पूरी होने की प्रत्याशा में, मुझे औपबंधिक पेंशन के निमित ———————————— रू० (शब्दों में ———————————————————— रूपया) प्रतिमाह की स्वीकृति दी है, इसलिए, मैं इसके द्वारा अभिस्वीकार करता हूँ कि इस राशि को स्वीकार करते हुए मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरी पेंशन की राशि आवश्यक औपचारिक जाँच पूरी होने पर पुनरीक्षित हो सकती है, और प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसे पुनरीक्षण पर मैं इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं करूँगा कि मुझे अभी दी जानेवाली औपबंधिक पेंशन की राशि से अधिक है, जिसका हकदार मैं अन्ततः पाया जाऊँ। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस पेंशन का हकदार मैं अन्ततः पाया जाऊँ, उससे अधिक भुगतान की गई राशि लौटा दूँगा।

सेवा–निवृत्त होने वाले कम्पनी–सेवक का हस्ताक्षर
पदनाम तथा विभाग / कार्यालय

(यह घोषणा–पत्र को किसी राजपत्रित सेवक से अभिप्रमाणित कराया जाये)
यहाँ अग्रिम की मंजूरी प्रदान करने वाले कम्पनी–सेवक के पदनाम का उल्लेख करें।

ब्योरे

विवरणात्क सूची

पद सं० 1 से 9 और 14 से 16 अनिवार्य है।

1. नाम :
2. पिता का नाम :
3. पति का नाम :
4. जाति :
5. ग्राम :
6. थाना और डाकखाना :
7. जिला :
8. उम्र :
9. उँचाई :
10. शारीरिक गठन :
11. रूप रंग :
12. चेहरा :
13. नाम :
14. पहचान–चिन्ह्, यदि कोई हो :
15. हस्ताक्षर का नमूना :
16. अंगूठे और अंगूलियों की छाप :

आवेदक का हस्ताक्षर
किसी जिम्मेवार व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

पेंशन और पारिवारिक पेंशन का गणना–पत्र

(पेंशन हेतु फार्मूला $\frac{\text{कुल सेवा–अवधि}}{80}$ 12 माह का औसत वेतन)

---

1. सेवा–निवृत्त कम्पनी–सेवक का नाम एवं पदनाम

2. सेवा में नियुक्ति की तिथि

3. सेवा निवृत्ति / मृत्यु की तिथि

4. कुल सेवा अवधि

5. औसत परिलब्धियाँ

6. प्राप्त अंतिम वेतन

7. अनुमान्य पेंशन (यहाँ नियमानुसार पेंशन की गणना करें)

8. पेंशन का 75 प्रतिशत

9. अवधि, जिसके लिए 75 प्रतिशन पेंशन मंजूर की गयी

10. अनुमान्य पारिवारिक पेंशन (यहाँ नियमानुसार पारिवारिक पेंशन की गणना करें)

कार्यालय प्रधान / पेंशन की स्वीकृत प्रदान करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर

मोडेल फार्म

(मृत्यु–सह–सेवा–निवृत्ति उपादान की स्वीकृति हेतु)
(वित्त विभाग का ज्ञापांक 642 दिनांक 14 जनवरी, 1964 द्रष्टव्य)

(क) अधोहस्ताक्षरी इस बात से स्वयं संतुष्ट होकर कि श्री / श्रीमती / कुमारी ———————————— की सेवा पूर्णरूप् से संतोषप्रद रही है, इसके द्वारा मृत्यु–सह–सेवा–निवृत्ति उपादान / अवशिष्ट उपादान की स्वीकृति का आदेश नीचे खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्सक्तियों को देते हैं, जो नियमों के अधीन तथा अनुमान्य लेखा निदेशक द्वारा स्वीकार किया जा सकता है :

(ग) व्यक्ति का नाम	पता	मृत पदाधिकारी के साथ संबंध	मृत्यु–सह–सेवा–निवृत्ति उपादान की राशि में हिस्सा।

(2) यह आदेश इस शर्त्त के साथ दिया जाता है कि यदि बाद में यह पाया गया कि लेखा निदेशक द्वारा यथा प्राधिक्त उपादान की राशि उतनी रकम से अधिक है जितनी का संबंद्ध व्यक्ति नियमतः हकदार है तो वह उस अधिक राशि को वापस करने के लिए बाध्य होगा।

व्यक्ति से शर्त्त को स्वीकार करने से संबंद्ध घोषणा–पत्र कर लिया गया है जो अनुलग्न है।
व्यक्ति से शर्त्त को स्वीकार करने से संबंद्ध घोषणा–पत्र प्राप्त कर अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।

मृत्यु–सह–सेवा–निवृत्त उपादान / अवशिष्ट उपादान ————————————
देय है और ———————————————————— मद्दे प्रभार्य है।

दिनांक ————————

स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी
का हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पणी :– अवशिष्ट उपादान के मामले में मृत पदाधिकारी की सेवा का सत्यापन को चुकना चाहिए और उपर खंड (क) में उल्लिखित "स्वयं" संतुष्ट होकर कि ———————————— सेवा पूर्ण रूप से संतोषप्रद रही है" इस वाक्य–खंड का व्यवहार ही किया जाए।

Yash Enterprises, Patna - 4, P.O.-2465, Date-20/07/2018, Qty.-3000 set.